P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

# सर्व शिक्षा अभियान : एक अध्ययन

**पंकज लता**
प्राचार्या,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
श्री आत्म वल्लभ जैन गर्ल्स
पी. जी. कॉलेज,
श्री गंगानगर, राजस्थान, भारत

**सारांश**

समाज की उन्नति, उत्तम नागरिक तैयार करना तथा अपनी सभ्यता व संस्कृति का हस्तान्तरण करना ही जहां शिक्षा का उद्देश्य है, वहां स्पष्ट है कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास आज के बचपन से ही करना होगा, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है, क्योंकि यह मनोविज्ञान का मान्य सिद्धान्त है कि बाल्यावस्था में सीखी गई बातें तथा आदतें सम्पूर्ण जीवन नहीं भूलती, न ही बदलती। अतः उत्तम नागरिक बनने की नींव यही से पड़ती है। प्राचीनकाल से ही शिक्षा सम्बंधी विद्वान इस आयु वर्ग को समाजोपयोगी शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान देने के पक्ष में है। इस समय प्राप्त दिशा में चलकर शिक्षार्थी भविष्य के लिए उत्तम नागरिक के रूप में तैयार हो सकते है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा समूचे समाज का सबसे बड़ा सपना है, जिसके लिए आजादी के समय से ही बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे है। इसके परिणामस्वरूप आज हमारे देश के पास विश्व का सबसे बड़ा प्राथमिक स्कूल नेटवर्क है। भारत में इस समय लगभग 5.7 लाख विद्यालय है, जिसमें एक करोड़ से अधिक बच्चे नामांकित है। तथापि 6–14 आयु वर्ग के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे ही विद्यालय जा रहे है तथा लगभग 6 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे है, जिनके लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार अनेक कार्यक्रम चला रहे है, जिससे ये शेष बच्चे न केवल विद्यालय पहुंचे, अपितु उच्च शैक्षिक उपलब्धि के पात्र बने। इन विभिन्न योजनाओं में से ही सन् 2000 में आयोजित 'सर्व शिक्षा अभियान' भारतीय संविधान की 45वीं धारा में 6–14 आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा करने का प्रावधान किया गया। यह शोध पत्र 'सर्व शिक्षा अभियान' का अध्ययन है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग इस अभियान से परिचित हो सके।

**मुख्य शब्द :** सर्व शिक्षा अभियान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वजनीकरण, प्रारम्भिक शिक्षा, नियोजन, क्रियान्वयन।

**प्रस्तावना**

शिक्षा मानव की आधारशिला है। शिक्षा आन्तरिक बुद्धि व विकास की निरन्तर प्रक्रिया है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा एक व्यापक व गतिशील प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जीवन को प्रगतिशील सांस्कृतिक व सभ्य बनाना है।

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसी गुण के कारण प्राणियों से मनुष्य को भिन्न समझा गया। कहा भी गया है:–

साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ् विषानहीनः ।।

अतः शिक्षा सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नयन के लिए भी अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा ही संस्कृति को जीवित रखती है, संस्कृति का हस्तान्तरण व परिमार्जन करती है।

यतोहि प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रत्येक समाज की प्रथम आवश्यकताओं में से रही है इसलिए 1986 की शिक्षा नीति के राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्यवाही योजना 1992 में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राथमिकता दी, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को 2000 ई. तक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। जिसके मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है –

1. लोक जुम्बिश (1992)
2. न्यूनतम अधिगम स्तर (MILL)
3. शिक्षाकर्मी योजना – 1994,1998
4. जनशाला – 1998–2002
5. प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम – 1995–2002
6. शिक्षा गारण्टी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा

7. अध्यापक शिक्षा योजनाऐं
8. सर्वशिक्षा अभियान – 2000

**अध्ययन का उद्देश्य**

सन् 2000 में प्रारम्भ सर्व शिक्षा अभियान जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें व विद्यालय स्तरीय प्रयास निरंतर दृष्टिगोचर हो रहे है किन्तु इन प्रयासों से छात्र वर्ग तथा समाज कहां तक लाभान्वित हो रहा है, इसकी जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाना इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

**सर्वशिक्षा अभियान**

शिक्षा को मनुष्य की सर्वोन्मुखी प्रगति का आधार कहा जा सकता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि शैक्षिक विकास देश में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास की भूमिका तैयार करता है। यही कारण है कि जिन राष्ट्रों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है, वहां प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय भी अधिक है। इन राष्ट्रों को समाज अधिक सभ्य और प्रजान्तन्त्र अधिक सफल है। यही कारण है कि हर देश अपने नागरिकों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था करता है क्योंकि राष्ट्र और समाज के विकास में व्यक्तियों के शिक्षा स्तर का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः 6–14 आयु वर्ग के बालकों को गुणवत्तापूर्वक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। इन्हीं प्रयासों में केन्द्रीय स्तर पर प्रबन्धन और आयोजनागत इस चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लाया गया जो शिक्षा के सार्वजनिककरण में एक महत्त्वपूर्ण कदम था। इसी क्रम में समय–समय पर क्रियान्विति की गई शिक्षा नीतियों के आधार पर राज्य में विभिन्न शैक्षिक उन्नयन योजनाओं का सफल संचालन किया गया है। अक्टूबर 1998 में आयोजित शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के सघन प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया और उसी क्रम में सभी शैक्षिक उन्नयन योजनाओं को एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में सर्वशिक्षा अभियान का स्वरूप प्रस्तुत किया गया। सर्वशिक्षा अभियान सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अभियान है। इससे शैक्षिक वातावरण में परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हुआ।

**सर्वशिक्षा अभियान क्यों?**

1. शिक्षा हेतु किया गया निवेश कई पीढ़ियों तक समाज को लाभान्वित करे।
2. विद्यालय का समुदाय की महत्त्वपूर्ण एवं मूल्यवान सम्पत्ति के रूप में विकास हो।
3. शिक्षा के समुदाय की भागीदारी अनिवार्य हो।
4. जेण्डर भेद मिटाने तथा सामाजिक समरसता लाने के एकमात्र मार्ग।
5. सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो।

**सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य**

1. देश के 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2003 तक विद्यालयों में नामांकित करना।
2. नामांकित सभी बालकों को कक्षा 1 से 5 तक की पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा वर्ष 2007 तक प्रदान करना।
3. वर्ष 2010 तक आठ वर्षीय शिक्षा पूर्ण करना तथा इन सभी बच्चों को उपयोगी एवं समुचित गुणवत्ता और संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करना।
4. जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना।
5. विभिन्न समाजिक वर्गों एवं लिंग के आधार पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक अन्तराल को क्रमशः 2007 व 2010 तक समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक विद्यालय परित्याग दर शून्य करना। जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आऊट हो गये है को वैकल्पिक स्कूल ''बैक टू स्कूल'' शिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

**सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य**

1. विद्यालयी व्यवस्था की गुणवत्ता को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए संस्थागत सुधारों हेतु राज्यों को सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
2. विद्यालय स्तर पर प्रभावी विकेन्द्रीकरण।
3. शिक्षा व्यवस्था से समुदाय का अपनत्व व मालिकाना भाव से जुड़ाव बनाने के लिए व्यापक अभियान।
4. समुदाय आधारित नियोजन व क्रियान्वयन।
5. ऐसे लचीले कार्यक्रम बने जिसमें सभी वर्गों व क्षेत्रों के आधार पर अधिक से अधिक सहभागित्व हो।
6. बालिका शिक्षा को प्राथमिकता।
7. केन्द्र, राज्य, स्थानीय शासन व समुदाय के सम्मिलित प्रयास से शिक्षा के वित्तीय संसाधनों को व्यय के अनुरूप लाभप्रद बनाते हुए प्रभावी अधिगम करवाना।
8. समुदाय द्वारा देखभाल व संरक्षण से व्यवस्था से पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण को प्रोत्साहित करना।
9. प्रशिक्षणों के प्रभावी आयोजन व बेहतर प्रबन्धनों द्वारा अध्यापकों को प्रेरित करना।
10. समुदाय व विद्यालय में साझेदारी के विकास के लिए साक्षरता, पुस्तकालय, पोषण, खेलकूद महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना।
11. वंचित वर्ग के विशिष्ट बालकों को प्रोत्साहन देना।
12. जीवन कौशलों को बढ़ावा देना तथा शिक्षा को बालकों के लिए प्रासंगिक बनाना।
13. आनन्दमयी अधिगम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

**सर्व शिक्षा अभियान कैसे?**

**सामुदायिक गतिशीलता**

1. विद्यालय समुदाय की सम्पत्ति है अतः समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं पारदर्शी मॉनिटरिंग आवश्यक है।
2. शिक्षा के प्रबन्धन, शिक्षण तथा परिणामों हेतु समुदाय द्वारा उत्तरदायित्वों का निर्वाहन किया जाये।
3. जेण्डर भेद तथा अन्य सामाजिक भेद मिटाने में विद्यालय व समुदाय का सम्मिलित प्रयास हो।
4. प्लस कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय द्वारा विद्यालय को समय, धन, सामग्री एवं ज्ञान द्वारा सहभागिता।

**शिक्षकों को व्यावसायिक उन्नयन**

1. अधतन शिक्षकों को शिक्षण हेतु सतत् प्रशिक्षण की आवश्यकता।

2. राष्ट्र के भविष्य का निर्माण कक्षा–कक्षों में।

**विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकीकृत शिक्षा**

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु उनके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था की जाये।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहानुभूति की नहीं, बल्कि स्नेह और बराबरी के व्यवहार की आवश्यकता, इसके अनुरूप शिक्षण व्यवस्था।
3. आवश्यक एवं उचित उपकरण व मार्गदर्शन की व्यवस्था।

**दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम**

1. कम समय में अधिकाधिक बच्चों को विशेषज्ञों द्वारा शिक्षण।
2. भौगोलिक सीमाओं से परे शिक्षण कार्यक्रम।
3. शिक्षण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का सार्थक प्रयोग।
4. शिक्षकों के व्यवसायिक उन्नयन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

**निर्माण कार्य**

1. भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण।
2. आनन्दमयी शिक्षण हेतु भौतिक सुविधाओं का विस्तार।
3. बच्चों के ठहराव हेतु विद्यालय में आनन्दमयी वातावरण निर्माण।
4. खेलकूद हेतु फिसलन पट्टी, झूले, रैम्प, बाल वाटिका आदि।
5. निर्माण कार्यों में स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता के सि(न्तों का शत प्रतिशत करना।

**बहुस्तरीय शिक्षण**

1. बच्चों के समय का अधिकाधिक उपयोग ज्ञान प्राप्ति हेतु।
2. कम मानवीय संसाधनों से अधिकतम परिणाम प्राप्त हो।
3. जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षण की प्रभावी व्यवस्था हो।
4. शिक्षण सामग्री का बच्चों द्वारा सार्थक उपयोग।

**जेण्डर समानता**

1. शिक्षण में जेण्डर भेद नहीं होता।
2. व्यक्तित्व के विकास हेतु सह शिक्षा की व्यवस्था करना।
3. जेण्डर भेद रहित जीवन कौशलों का विकास करना।

**पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल**

1. शिशु शिक्षा हेतु खिलौने, गीत, सर्वोत्तम माध्यम।
2. खेल–खेल में प्राप्त शिक्षा का स्थायित्व।
3. शिशुओं की उचित देखभाल एवं पोषण की आवश्यकता की पूर्ति।
4. शिशु शिक्षा केन्द्र बालिकाओं के शत–प्रतिशत नामांकन व ठहराव में सहायक।

**बालिका शिक्षा**

1. बालिका शिक्षा में अवरोध क्यों?
2. बालिकाऐं शिक्षा प्राप्त करने में किसी से भी पीछे नहीं।
3. बालिका शिक्षा के बिना सामुदायिक विकास असंभव।
4. जेण्डर समता हेतु बालिका शिक्षा जरूरी।

**कम्प्यूटर आधारित शिक्षा**

1. कम्प्यूटर द्वारा विश्व की जानकारी उंगलियों पर संभव।
2. कम्प्यूटर सूचना प्रक्षेपण का त्वरित व महत्त्वपूर्ण साधन।
3. शैक्षणिक प्रबन्धन की प्रभावी मॉनीटरिंग में कम्प्यूटर की महत्त्वपूर्ण भूमिका।

**अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों हेतु शिक्षण**

1. शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार।
2. एस.सी./एस.टी. बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान।
3. एस.सी./एस.टी. बच्चों हेतु अतिरिक्त निःशुल्क शिक्षण सामग्री।
4. उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था।

**नामांकन**

1. सभी बच्चे विद्यालय जाये।
2. शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार।
3. सभी बच्चों को जीवनोपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा प्राप्त हो।
4. सभी बच्चों को कम्प्यूटरीकृत ट्रेकिंग व्यवस्था।

**शोध एवं मूल्यांकन**

1. कक्षा–कक्ष की समस्याओं की पहचान।
2. समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान।
3. शिक्षा का परिमाणात्मक एवं गुणवत्ता मूल्यांकन।
4. शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग।
5. विभिन्न प्रयासों के प्रभावों का अध्ययन।

**वैकल्पिक शिक्षा**

1. शिक्षा मित्र केन्द्रों में शिक्षण
2. वैकल्पिक विद्यालयों, चल विद्यालयों की व्यवस्था।
3. ब्रिज कोर्स की व्यवस्था।

**मातृ शिक्षक समिति का गठन**

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ;डीपीईपीद्ध के तत्वाधान में प्रत्येक प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालय में मातृ–शिक्षक समिति (एमटीए) का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ग/क्षेत्र की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यों का चयन होता है। विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापिका या अन्य महिला शिक्षक को सचिव बनाया जाता है। विद्यालयी परिक्षेत्र में उपलब्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में से दो महिलाओं को इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। सामान्य वर्ग की महिलाओं में से दो महिलाओं का सदस्य के रूप में चयन होता है। स्वयं सेवी समूह या समाज सेविका के प्रतिनिधि के रूप में एक महिला सदस्य का चयन किया जाता है। उपर्युक्त किन्हीं वर्गों की महिला सदस्य उपलब्ध न होने पर बालिका शिक्षा के प्रति सक्रियता दिखाने वाली महिलाओं को सदस्य बनाया जा सकता है।

**माह शिक्षक समिति के प्रमुख कार्य**

1. प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करना।
2. शैक्षिक सर्वे पर चर्चा करना।
3. नामांकन एवं ठहराव के प्रयास, विशेषतः बालिकाओं के संदर्भ में।
4. ड्रॉपआउट को रोकना।

5. विद्यालय में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करना।
6. स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रमों में विद्यालय को सहयोग करना।
7. विद्यालय में आयोजित होने वाले बाल मेला, कला जत्था, महिला बैठक बालिका मंत्र आदि कार्यक्रमों का संचालन में सहायता करना।
8. समुदाय और विद्यालय की दूरी को पाटना।
9. ग्रामीण महिलाओं को बालक–बालिकाओं में भेद मिटाने के प्रति जागरूक बनाना।
10. वंचित व ड्राप आउट बालिकाओं को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने हेतु जिम्मेदारी बांटना।

**चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम**

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकसित एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 6–14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक की पहचान कर उसकी कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाता है अर्थात् उक्त आयु वर्ग के प्रत्येक बालक को पथ का अनुकरण करते हुए तब तक पीछा नहीं छोड़ना है जब तक कि वह कक्षा तक की शिक्षा पूर्ण न कर ले। तात्पर्य यह है कि यदि सर्वे में सम्मिलित कोई बालक पलायन कर जाता है तो भी उसकी स्थिति का पता कर तात्कालिक प्रयास कर उसके शिक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है।

**कार्य योजना एवं कार्य प्रणाली**

चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम के अन्तर्गत निम्नांकित चार प्रकार के ग्राम शिक्षा के रजिस्टर सर्वे के माध्यम से पूरे किये जाते हैं –

फार्म 1–0.5 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के लिए ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर।

फार्म 2–6–14 आयु वर्ग के विद्यालय जाने योग्य बच्चों के लिए गांव / वार्ड शिक्षा रजिस्टर।

फार्म 3–16–14 आयु वर्ग में विद्यालय में नामांकित होने के पश्चात् बीच स्तर में प्राथमिक स्तर प्राप्त किये बिना घर बैठने वाले ड्राप आउट बच्चों के लिए गांव/वार्ड शिक्षा रजिस्टर।

फार्म 4–6–14 आयु वर्ग के बच्चों की सूचना जो कभी भी किसी प्रकार के विद्यालय में नामांकित नहीं हुए के लिए गांव/वार्ड शिक्षा रजिस्टर।

उक्त समस्त रजिस्टरों को निर्धारित समय पर अद्यटन किया जाता है। विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति की बैठक का आयोजन कर उसमें सम्पूर्ण कार्य योजना के अनुसार व्यूह रचना का निर्माण किया जाता है एवं विभिन्न/व्यक्तियों/ संस्थाओं को उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं।

प्रत्येक राज्य की एक शिक्षा व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बालकों की आयुवर्गानुसार शिक्षण, समय, अवकाश, विषय, पाठ्य पुस्तकें आदि की एक सुनिश्चित योजना होती है।

1. राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की आयु 3–5 प्राथमिक में 6 से 11 व उच्च प्राथमिक के लिए 12 से 14 वर्ष दी गई है। विद्यालय का समय क्रमशः 3 घंटे दिया गया। कुल शिक्षण कालांश 48 दिये गये हैं।
2. विषय के रूप में हिन्दी ;मातृभाषाद्ध गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा को स्वीकारा गया है इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक (मातृभाषा) उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, गुजराती भी स्वीकृत है। उ.प्रा. स्तर के तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को भी स्वीकृत किया गया है।
3. प्रत्येक विषय की एक पाठ्य पुस्तक तथा कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव के लिए शिक्षक संदिर्शका। मार्गदर्शिका बनाई गई है। पाठ्यपुस्तकें प्रत्येक कक्षा के स्तरानुसार बनाई गई है। इनमें शिक्षकों के लिए शिक्षण, शिक्षण निर्देश, अभिभावकों से अपेक्षाएं व छात्रों के लिए पर्याप्त अभ्यास कार्य दिया गया है।
4. प्रत्येक विषय की पाठ्य पुस्तकों में जीवन मूल्यों को दिया गया है। जीवन मूल्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे अवसरों का उल्लेख किया गया है जिससे स्वतः सहज प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से जीवन मूल्यों का विकास हो सके।
5. प्रत्येक विषय में अधिगम क्षेत्र व दक्षताओं को दिया गया है। अधिगम क्षेत्र का आशय विषय विशेष के इस विस्तृत क्षेत्र से है जो बालक का निरन्तर प्रत्येक कक्षा में सिखाया गया है। उसकी क्रमबद्धता कक्षावार है। अधिगम क्षेत्र के अन्तर्गत दक्षताओं को दिया गया है। दक्षताऐं वे कौशल है जिनके द्वारा छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन आवश्यक है।

**निष्कर्ष**

उपरोक्त तथ्यों, कथनों, अध्ययनों एवं विवरणों के आधार पर स्पष्ट है – सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजना से पूर्व की योजनाओं के आधार बनाकर किसी प्रकार समाज, राज्य व केन्द्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास कर रहे है। आवश्यकता है विशेषज्ञों के उक्त प्रयासों की सराहना के साथ–साथ प्रत्येक स्तर पर अपना सहयोग देने की, जिससे सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनायें एवं उन पर किया गया खर्च सार्थक होवें।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची**

*सक्सेना, एन.आर.स्वरूप, ''उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा'' सूर्या पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2002*

*शर्मा, डी.एल., ''शिक्षा तथा भारतीय समाज'' आर. लाल बुक डिपो, मेरठ, 1993–94*

*थुर, एस.एस., ''सोशयोलॉजिकल अपरोज टू इण्डियन एज्यूकेशन'' विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 1995*

*प्रारम्भिक शिक्षा, जी.एस.डी त्यागी, विनोद पुस्तक भंडार, आगरा–2, 2005*

*Aggarwal Yash (1980a), Access and Retention: The Impact of DPEP, Department of Education Government of India, New Delhi.*

*Aggarwal Yash (1988), Education and Human Resource Development, Commonwealth, New Delhi.*

*Aggrwal Yash (1997) Small Schools: issues in Policy and Planning Occasional Paper No. 23, NIEPA, New Delhi.*

*Annual Report, DPEP, 1999-2000, Rajasthan Paratmic Shiksha Panshad, Jaipur.*

*Government of India (1987), Wastage, Stagnation and Inequality of Opportunity in Rural Primary Education, A case study of Andhra Pradesh, MHRD, New Delhi.*

*Government of India, 1985. The Challange of Education: A discussion Papes, New Delhi: Ministry of Human Resource Development.*

*Government of India, 2003. Education for alll: National Plan of Action (New Delhi: Ministry of Human Resource Development.*

*UNESCO, 2000, World Education Forum: Final Report (Paris: UNESCO).*

***विभिन्न पत्र–पत्रिकाएँ व प्रकाशित लेख***

*शिविरा पत्रिका, राजस्थान शिक्षा विभाग।*

*माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, शिक्षा पत्रिका, मार्च 2001*

*Government of India, 2003. Education for AIL: National Plan of Action (New Delhi: Ministry of human resources development)*